

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी


क्रमांक:- ग्रा. से.शि / 2025 / 413

प्रकरण सं.:-
दिनांक:- 27/10/25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी करना व भू.अ.
नि. लक्ष्मणराव की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धोरी-खर
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 22, 23, 24
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	धोरी-खर	22	59/421	लक्ष्मणराव	लक्ष्मणराव
		23	252/1, 253/3	S/O	S/O
		24	253	जुझाराम	जुझाराम



(समदरसिंह भाटी)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी


दिनांक:- 27/10/25

क्रमांक:- सम. / 2025 / 414-416

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी लक्ष्मणराव तहसीलदार सिणधरी को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी